

1  
2026/35

(राजस्थान पुराणस्य अधिनियम, 1968 के नियम 130 के अन्तर्गत)

**राजस्स रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र**

राजस्स ग्राम <u>मुंजायान</u> , पं०मं० <u>मुंजायान</u> , मूअं०नि०पु०त्त <u>मुंजायान</u> , तहसील- <u>कावन्डी</u>							
क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हे०	वर्तमान खत का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०दि०		
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1	35	1728 1729 1730 1733 1734 1735 1736	0.8978 2.2255 0.0759 0.5544 0.2789 1.0243 1.4162 6.4743	01. मी०की पालि खस-जरासिप हे० 1/32 खत - Rm 68 मानपु०	01. मी०की पालि खस-जरासिप हे० 1/32 खत - आपल्यात आनीज खत मानपु०		
मुताबिक भिस्तल/जमावन्दी संवत् <u>2024-2077</u> के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० मू० राजस्स अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर के सम्म अग्रण योग्य है।		साबिक राजस्स रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खत में शुद्धि किया जाना उचित है।		प०हत्का <u>मुंजायान</u> मूअं०नि० <u>मुंजायान</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण यन्दावस्त संकियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।		प०हत्का <u>मुंजायान</u> मूअं०नि० <u>मुंजायान</u> राजस्स अधिकारी A-6 के रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल चम्बवदी में अमल किया जावे।	

दिनांक 19/12/2025

*(Signature)*  
मू० पटवारी  
मू० मूअं०नि०  
दिनांक 19/12/2025

*(Signature)*  
मू० मूअं०नि०  
दिनांक 19/12/2025

*(Signature)*  
तहसील- कावन्डी  
जिला- सिरोही

*(Signature)*  
मू० उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कार्यालय, आबूरोड